

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा

प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
पुत्र/पुत्री* श्री गांव/शहर* जिला/मंडल*
राज्य के (उपजाति दर्शाएं) समुदाय से संबंध रखता है जो पिछड़ा वर्ग के रूप में निम्न के अधीन मान्यता प्राप्त है :-

1. 13 सितम्बर 1993 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1, सेक्शन-1, संख्या 186 में प्रकाशित दिनांक 10 सितम्बर 1993 का संकल्प संख्या 12011/68/93-बी.सी.सी.@ ।
2. 20 अक्टूबर 1994 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1, सेक्शन-1, संख्या 163 में प्रकाशित दिनांक 19 अक्टूबर 1994 का संकल्प संख्या 12011/9/94-बी.सी.सी. ।
3. 25 मई 1995 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1, सेक्शन-1, संख्या 88 में प्रकाशित दिनांक 24 मई 1995 का संकल्प संख्या 12011/7/95-बी.सी.सी. ।
4. 11 दिसम्बर 1996 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1, सेक्शन-1, संख्या 210 में प्रकाशित दिनांक 6 दिसम्बर 1996 का संकल्प संख्या 12011/44/96-बी.सी.सी. ।
5. 8 जुलाई 1997 के भारत के राजपत्र असाधारण संख्या 129 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93-बी.सी.सी. ।
6. 1 सितम्बर 1997 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1, सेक्शन-1, संख्या 164 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/12/96-बी.सी.सी. ।
7. 11 दिसम्बर 1997 के भारत के राजपत्र असाधारण संख्या 236 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/99/94-बी.सी.सी. ।
8. 3 दिसंबर 1997 के भारत के राजपत्र असाधारण संख्या 239 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/13/97-बी.सी.सी. ।
9. 3 अगस्त 1998 के भारत के राजपत्र असाधारण संख्या 166 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/12/96-बी.सी.सी. ।
10. 6 अगस्त 1998 के भारत के राजपत्र असाधारण संख्या 171 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93-बी.सी.सी. ।
11. 27 अक्टूबर 1999 के भारत के राजपत्र असाधारण संख्या 241 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/98-बी.सी.सी. ।
12. 6 दिसंबर 1999 के भारत के राजपत्र असाधारण संख्या 270 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/88/98-बी.सी.सी. ।
13. 4 अप्रैल 2000 के भारत के राजपत्र असाधारण संख्या 71 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/36/99-बी.सी.सी. ।

श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या उसका परिवार सामान्यतया राज्य के जिला में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के ओएम नं. 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) दि. 08.09.1993 तथा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ओएम नं. 36033/3/2004- स्थापना (रेसि.) दिनांक 09.03.2004 की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित क्रीमीलेयर के अधीन नहीं आते/आती है।

स्थान:

दिनांक :

*जो लागू न हो उसे काट दें।

जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त इत्यादि

(कार्यालयीन मुहर सहित)

नोट : (क) यहां साधारणतः शब्द का वहीं अर्थ है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 20 में है। (ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी निम्न है :- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उप आयुक्त/ अतिरिक्त उप आयुक्त/उप जिलाधीश/प्रथम श्रेणी स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप मंडलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक/पद से नीचे का न हो) (ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, (iii) राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो और, (iv) उस क्षेत्र का उपमंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार निवास करता है।